भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 631
07 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

ओडिशा में स्टील स्क्रैप केंद्र

631. श्री देबाशीष सामंतराय :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश भर में संचालित स्टील स्क्रैप केंद्रों की कुल राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) पात्रता मानदंड और स्टील स्क्रैप विक्रेताओं को प्रदान किए जाने वाले लाभों सहित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ओडिशा राज्य में स्क्रैप क्षेत्र में हाल ही के कतिपय रुझानों सहित राज्य में स्टील स्क्रैप केंद्रों का कारोबार कितना है;

(घ) सरकार देश में, विशेष रूप से ओडिशा में, स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्टील स्क्रैप केंद्रों के संचालन में उचित पर्यावरण मानकों और सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग): इस्पात मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एमएसटीसी लिमिटेड के पास, मैसर्स महिंद्रा एक्सेलो के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेवी) नामत: महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड (एमएमआरपीएल) के अंतर्गत देश में छह प्रचालनशील पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग इकाइयां (आरवीएसएफ) हैं। ये केंद्र प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहनों को प्राप्त करते हैं और स्टील स्क्रैप के उत्पादन के लिए प्रसंस्करण करते हैं। इसके अतिरिक्त, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएंडएच) की वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत आरवीएफ भी संचालित किए जा रहे हैं। ओडिशा में एमएमआरपीएल द्वारा किसी आरवीएसएफ का संचालन नहीं किया जा रहा है।

(घ): सरकार द्वारा ओडिशा सहित देश भर में स्टील स्क्रैप के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. इस्पात मंत्रालय द्वारा स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 को अधिसूचित किया गया जो स्टील स्क्रैप के संग्रहण, विखंडन और श्रेडिंग के लिए मानक दिशानिर्देश उपलब्ध कराती है।

ii. सरकार ने देश में, विशेष रूप से ओडिशा में, स्टील स्क्रैप के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहनों (ईएलवी) को स्क्रैप करने को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है।

iii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025 को लागू किया है जो विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर) को अधिदेशित करता है जिसके अंतर्गत वाहन उत्पादकों को वार्षिक स्क्रैपिंग लक्ष्यों को प्राप्त करना आवश्यक है।

(ङ): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खतरनाक और अन्य प्रकार के अपशिष्टों के पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित रख-रखाव, भंडारण, पुनर्चक्रण, उपयोग, शोधन तथा निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए परिसंकटमय और अन्य अवशिष्ट (प्रबंध और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 को अधिसूचित किया है।

*****